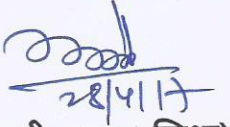


फार्म का नमूना किसी भी कार्य दिवस में आकर इस कार्यालय में देखा जा सकता है। प्राप्त किये गये कोटेशन उसी दिन दिनांक 06.05.2017 को दोपहर 1500 बजे अधोहस्ताक्षरी द्वारा उनके कक्ष में खोला जायेगा। कोटेशनकर्ता/ इनके प्रतिनिधि, यदि चाहे, उस समय अपने खर्च पर सम्मिलित हो सकते हैं।

नियम एवम शर्त:-

1. आपूर्ति की जाने वाली सामग्री / संपादित कार्य सही मापदण्ड के अनुसार त्रुटि रहित एवं संतोषजनक होना चाहिए अन्यथा उसे स्वीकार नहीं किया जायेगा।
2. उक्त कोटेशन में दिए गए दर कोटेशन खुलने के 90 (नब्बे) दिनों तक मान्य होना चाहिए।
3. कार्य संतोषजनक संपादित होने के उपरांत विपत्र का भुगतान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राजेन्द्रनगर ब्रांच पटना के माध्यम से खाता में देय चेक द्वारा किया जायेगा।
4. विपत्र राजस्व टिकट लगाया हुआ पूर्व प्राप्ति रसीद के साथ तीन प्रतियों में अधिशासी अभियंता, नि.गं.मं.-1, के.ज.आ., पटना के नाम से होना चाहिए।
5. नियमानुसार स्रोत पर आयकर काटा जायेगा।
6. अग्रिम भुगतान संबंधी किसी भी शर्त को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
7. आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की दर में इस कार्यालय तक पहुंचाने, पैकिंग, बीमा (यदि हो) आदि सम्मिलित होगी।
8. दिये गये दर शब्द एवं अंक दोनों में लिखे होने चाहिए। यदि लिखे गए दर की कहीं कटिंग/ओवरराइटिंग हो तो उसे कोटेशनकर्ता द्वारा हस्ताक्षरयुक्त होना चाहिए। दर की अस्पष्टता होने पर शब्दों में दर्शाये गये दर की मान्यता होगी।
9. लिफाफे पर “ फार्म, रजिस्टर इत्यादि के प्रिंटिंग के कोटेशन के संबंध में “, कोटेशन संख्या एवं कोटेशन खुलने की तिथि लिखी होनी चाहिए।
10. आपूर्तिकर्ता द्वारा देय सभी प्रकार के कर उद्धरित दर में सम्मिलित किए जाने चाहिए। वास्तविक CST/VAT स्पष्ट रूप से अंकित होने चाहिए। सामग्रियों की आपूर्ति की प्रक्रिया के दौरान हुई किसी भी क्षति का वहन आपूर्तिकर्ता को करना होगा।
11. सफल कोटेशनकर्ता को आपूर्ति आदेश जारी होने के बाद 03 हफ्तों में कार्य पूर्ण करना होगा।
12. अधोहस्ताक्षरी को किसी भी कोटेशन या सभी कोटेशन को बिना कारण रद्द करने का अधिकार होगा।


(अंजनी कुमार मिश्रा)
अधिशासी अभियंता

प्रतिलिपि:

1. अधिक्षण अभियंता (सम.) निचली गंगा बेसिन संगठन, केन्द्रीय जल आयोग, पटना।
2. निदेशक, प्रबोधन निदेशालय, केन्द्रीय जल आयोग, पटना।
3. सहायक लेखा अधिकारी, निचली गंगा मंडल-1 केन्द्रीय जल आयोग, पटना।
4. सूचना पट्ट, निचली गंगा मंडल-1, केन्द्रीय जल आयोग, पटना।
5. केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) के Website पर upload के लिये।